सुप्रीम कोर्ट में कार्य के दिन बढ़े

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ग्रीष्मकालीन अवकाश में कटौती कर कामकाज के दिनों को बढ़ा दिया है। अपने नियमों में संशोधन कर सर्वोच्च अदालत ने यह तय किया है कि अब गर्मी की छुट्टियां दस हफ्ते नहीं बल्कि अधिकतम सात हफ्ते की ही होगी। सर्वोच्च अदालत ने १९६६ के अपने नियमों में बदलाव कर आधिकारिक तौर पर छुट्टियों को कम करने की घोषणा अधिसूचित की है। इसके तहत नई नियमावली लाई गई है। इसे 'सुप्रीम कोर्ट नियम-२०१३' कहा जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आरएम लोढा ने नए नियम लाना तय किया और यह नियम १९ अगस्त से प्रभावी होंगे। चीफ जस्टिस ने हाल ही में ३६५ दिन काम करने का प्रस्ताव बार के समक्ष रखा था और सभी उच्च न्यायालयों को भी ३६५ दिन काम करने को कहा था।

लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस के प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। इसके चलते चीफ जस्टिस ने छुट्टियों में कटौती कर कामकाज के दिनों को बढ़ाने का रास्ता खोज लिया।

पशुओं की गलती बता मुआवजा से मना नहीं कर सकते

लखनऊ। चंडीगढ़। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि सड़क दुर्घटना में जानवर की गलती का बहाना कर क्लेम ट्रिब्यूनल मुआवजा देने से मना नहीं कर सकता। जस्टिस के. कानन ने कहा, दुर्घटना में गलती मानवीय होती है, उसे जानवर पर डालकर पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। दुर्घटना के एक मामले में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने घायलों को मुआवजा देने से मना कर दिया था। उन्हीं याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है। एक दिसंबर २००६ को रोपड़ निवासी हरमेश कुमार और ओम प्रकाश श्री व्हीलर से सफर कर रहे थे। चंडीगढ़ निवासी इंदरजीत सिंह की कार श्री व्हीलर में जा लगी। कार इंश्योर्ड थी।

दुर्घटना की डीडीआर काटी गई, चूंकि दोनों पक्षों में समझौते के आसार थे और वे तत्काल जांच नहीं चाहते थे। एक हफ्ते बाद पुलिस में बयान दर्ज करवाए गए। बयान में दोनों पक्षों ने कहा कि ब्रेक लगाने की कोशिश हुई। दोनों वाहनों के आगे जानवर था, उसी के कारण हादसा हुआ। ट्रिब्यूनल में इन दोनों को बयान के लिए नहीं बुलाया गया और पुलिस की डीडीआर के आधार पर क्लेम देने से मना कर दिया गया।

हरमेश और ओमप्रकाश ने ट्रिब्यूनल के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। जस्टिस के.कानन ने अपने फैसले में कहा कि पीड़ितों को न इंश्योरेंस कंपनी और न ही अदालत में बुलाया गया, सिर्फ डीडीआर में दर्ज बयान के आधार पर ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया।

हाईकोर्ट ने कहा है कि सड़क हादसों में मानवीय गलती ही होती है और इसके लिए जानवर को जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता। दूसरा, मुआवजे के दावे पर विचार करते वक्त क्लेम ट्रिब्यूनल को यह देखना चाहिए था कि भले ही किसी ने बयान दिया हो कि दोनों ड्राइवरों की गलती नहीं है, लेकिन बाद में वह इस बयान के विपरीत दुर्घटना में गलती पर फैसले के लिए अदालत में केस करता है, तब पुलिस में दिए बयान पर ही निर्भर नहीं रहा जा सकता।

बड़े वकील की ओछी बात

नई दिल्ली: अंतरराज्यीय जल विवाद मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे की एक टिप्पणी से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आरएम लोढ़ा बेहद आहत दिखे। साल्वे ने सलाह दी थी कि मामला चूंकि राजस्थान का अन्य राज्यों के साथ पानी के बंटवारे को लेकर विवाद से जुड़ा है। लिहाजा लोढ़ा खुद को इस केस की सुनवाई से अलग कर लें। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा, 'मैं भारत में पैदा हुआ हूं। लिहाजा पहले मैं एक भारतीय हूं बाद में राजस्थानी।'

साल्वे के कथन पर अफसोस जताते हुए उनका कहना था, 'खासतौर से एक ऐसे वरिष्ठ अधिवक्ता के मुंह से ऐसी बात सुनते हुए मुझे दुख हो रहा है, जिसके पास व्यापक कानूनी अनुभव है।' दरअसल मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली शीर्ष न्यायालय की पीठ उत्तर भारत के अन्य राज्यों से राजस्थान के जल विवाद मामले की सुनवाई कर रही थी। चूंकि लोढ़ा राजस्थान के रहने वाले हैं। इस सच्चाई के मद्देनजर साल्वे ने जानना चाहा कि क्या मुख्य न्यायाधीश खुद को इस केस की सुनवाई से अलग करेंगे? लेकिन न्यायमूर्ति लोढ़ा की तल्ख टिप्पणी के बाद उन्हें सफाई देनी पड़ी। साल्वे ने स्पष्ट किया कि अगर मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इससे एक अच्छी मिसाल कायम होगी।

इस पर न्यायमूर्ति लोढ़ा ने कहा, 'मुझे इस केस से खुद को अलग करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन यह सुनकर दुख लग रहा है कि मुझे केस से इसलिए हटना पड़ेगा क्योंकि मैं एक राजस्थानी हूं।' उन्होंने वरिष्ठ वकील साल्वे को याद दिलाया कि वह १३ वर्षों तक बांबे हाई कोर्ट में भी काम किए हैं। इसका यह मतलब नहीं कि उन्हें महाराष्ट्र से जुड़े मामलों से अलग हो जाना चाहिए।

कलकत्ता उच्च न्यायालय की नई मुख्य न्यायाधीश

Justice Manjula Chellur, on Aug 6 2014, sworn in as the first woman chief justice of Calcutta high Court. The oath ceremony was presided over by Governor of the state Keshari Nath Tripathy at Raj Bhavan in the presence of Chief Minister Mamta Bannerjee. Justice Chellur thereby became 37th Chief Jusitce of Calcutta High Court. she replaced justice Arun Kumar who is elevated to Supreme Court.

काउन्टर-रिज्वाइन्डर

O प्रचेता

बंटी- ये बता महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद जब मोदी सारे लोगों का अभिवादन कर रहे थे तो राहुल गांधी का हाथ गर्मजोशी से दबाया था। इस पर उनके दो अन्य नेता कुछ बात करके हंस रहे थे। वह क्या बात हो सकती है?

बबली- क्या हो सकती है?

बंटी- अरे वे मजाक में कह रहे होंगे राहुल से कि जरा बचके रहिएगा बहुत पुराने संघी हैं।

बबली- ये सब छोड़ ये बता आजकल राज्य से लेकर केन्द्र तक सब पिपहिरी क्यों बजा रहे हैं?

बंटी- पिपहरी का क्या मतलब?

बबली- अरे सभी पीपीपी माडल की बात कर रहे हैं अब सब अच्छे काम पीपीपी से होंगे।

बंटी- ओह! अब समझा। देख अब नेता फुटकर वसूली (इंजीनियरों, डॉक्टरों, ठेकेदारों, माफियाओं) से ऊब गये हैं उससे बदनामी हो रही है कहने को तो दिखावे के तौर पर पीपीपी का शाब्दिक अर्थ है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लेकिन इसका वास्तविक अर्थ कुछ और है।

बबली- हमें वास्तविक बता शाब्दिक की जरूरत नहीं है इसका फुल फार्म तो हमें भी मालूम था जो तुमने बताया है।

बंटी- दरअसल ये राष्ट्रपति व राज्यपाल के भाषण की तरह है।

बबली- कैसे?

बंटी- जैसे जब सदनों में हंगामा होने लगता है तो महामहिम पहली और अंतिम लाइन पढ़ देते हैं बाकी सब पढ़ा हुआ माना जाता है।

बबली- इसका इससे क्या ताल्लुक है।

बंटी- ताल्लुक है इसमें भी पांच पी हैं बीच के दो गायब कर दिये गये हैं हंगामें की वजह से।

बबली- पहेलियां न बुझा साफ-साफ बता।

बंटी- इस माडल का पूरा नाम है पीपीपीपीपी यानि पांच पी।

बबली- और इसका मतलब?

बंटी- इसका मतलब

१. पब्लिक मनी (चाहे जिस एक्सचेकर में हो उसकी जेब में या स्विस बैंक में)

२. पार्टी

३. पार्टनर्स (व्यवसायी/उद्योगपति)

४. पाकेट

५. प्राइवेटली 'परमानेंट'

(पब्लिक मनी परमानेंटली इन पार्टी पार्टनर्स पाकेट)

बबली- ये कहां नीरस बात में फंस गये हम। ये बता नयी सरकार के मुख्या ने ये फरमान क्यों जारी किया कि जो बड़े बाबू (आइ.ए.एस.) मझले बाबू छोटे बाबू यूपीए के मंत्रियों के साथ निजी तौर पर लगे थे हमारे मंत्रियों के साथ नहीं लगेंगे।

बंटी- ये कामन मैन के तौर पर सोंचे तो शायद इसलिए कि इन मंत्रियों/सरकार की लू पोल विरोधियों तक न पहुंचे

बबली- तो पहले इन पदों का नामनक्लेचर बदल कर उसमें से निजी शब्द हटा दिया जाना चाहिए।

बंटी- क्या कर देना चाहिए?

बबली- ये उनसे पूछों जिन्होंने फरमान जारी किया है जिसका ये मानना है कि अधिकारी/कर्मचारी अब तनख्वाह भले सरकारी खजाने से लेते हैं लेकिन निष्ठा उनकी दलीय या व्यक्तिगत होती है।

बंटी- ऐसा पूरी तरह तो नहीं है लेकिन आंशिक में संदेह भी नहीं है और ये सिर्फ दलीय ही नहीं क्षेत्रीय, जातिय व धार्मिक भी होती है।

बबली- है लेकिन सुना है एक मंत्री विशेष के लिए फरमान वापस ले लिया गया थोड़ा ढीला करके नया जारी हुआ है।

बंटी- नये में क्या है?

बबली- कुछ पक्का तो पता नहीं सुना है अब पुराने मंत्रियों के ड्राइवर व चपरासी को अपने यहां लगा सकते हैं।

बंटी- कुछ तुक्का लगा ऐसा क्यों किया गया होगा।

बबली- मैंने दबी जुबान कुछ मेम साहबों को फुसफसाते हुए सुना है कि नये को लगाकर क्या फायदा है पुरानों को सब पता रहता है। खुद को तो बीवी की परवाह नहीं है चाहते हैं हमारा आदमी भी हमें छोड़ दे।

बंटी- यानि कि यह आधी आबादी का दबाव है?

बबली- हां क्योंकि अफसर तो मंत्रीयों के काम के लिए होते हैं ड्राइवर व चपरासी तो मेम साहब के लिए ही होते हैं न।

बंटी- ठीक कह रही है मेम साहबों को तो ड्राइवरों, चपरासियों का ही सहारा है साहब कहां टाइम दे पाते हैं उनको।

बबली- यही तो विडम्बना है इस देश की जो घर नहीं बसा/चला पाये वो देश चला रहे हैं।